



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 2148 /अका./का.प./2022

रायपुर, दिनांक 05/08/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की सड़सठवीं बैठक बुधवार दिनांक 03.08.2022 को मध्याह्न 12:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति –अध्यक्ष

1. डॉ. सी.डी. अगाशे	– सदस्य	8. डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स	– सदस्य
2. डॉ. एस.के. प्रसाद	– सदस्य	9. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	– सदस्य
3. डॉ. सौम्या नैय्यर	– सदस्य	10. डॉ. एम.एल. नायक	– सदस्य
4. डॉ. मधुलिका अग्रवाल	– सदस्य	11. श्री सोनाऊ राम नेताम	– सदस्य
5. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	– सदस्य	12. डॉ. अमिताभ पाण्डेय	– सदस्य
6. डॉ. के.एन. शर्मा	– सदस्य	13. श्री सत्यनारायण शर्मा	– सदस्य
7. डॉ. ममता शर्मा	– सदस्य		

डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: संपुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।
3. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15.07.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय: अनुमोदन किया गया।

फार्मसी संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कार्पस फण्ड हेतु विनियम क्रमांक-184 A के संबंध में विचार करना।
निर्णय: अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. डॉ. भगवंत सिंह, प्राध्यापक, तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 30,16,994.00 (रुपए तीस लाख सोलह हजार नौ सौ चौरानबे मात्र) के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

6. वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु नोडल केंद्रों को अग्रिम राशि रूपए 43,04,258 (रुपए तिरालीस लाख चार हजार दो सौ अंठावन मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

7. श्री गणेश राम यादव, मल्टीग्राफर, जैविकी अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रूपए 09,58,884.00 (रुपए नौ लाख अंठावन हजार आठ सौ चौरासी मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. सत्र 2021-22 में अंतर-महाविद्यालयीन एवं सेक्टर स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए संबंधित महाविद्यालय के सभी खेलों के सब्सिडी राशि रूपए 5.66 लाख (रुपए पाँच लाख छैसठ हजार मात्र) के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

9. विश्वविद्यालय की क्रीड़ा समिति में दो नए सदस्यों के मनोनयन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय परिनियम 2-1(iv) के तहत की क्रीड़ा समिति में निम्नानुसार दो नए सदस्यों का मनोनयन किया गया :-

- (1) श्री विनय बैसवाड़े, राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी, रायपुर
- (2) श्री मृणाल चौबे, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, राजनांदगाँव

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव

10. शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को बायोकेमेस्ट्री विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अस्थाई रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कंप्यूटर सेंटर गोपनीय से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. फॉयरवाल डिवाइस क्रय किए जाने हेतु अनुमानित लागत राशि रूपए 40.00 लाख (रुपए चालीस लाख मात्र) के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव

12. फार्मसी संस्थान मॉड्यूलर लैब निर्माण देयक ₹ 28,35,654=70 (रुपए अट्ठाइस लाख पैंतीस हजार छः सौ चौवन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

13. डिग्री मुद्रण के लिए ₹ 13,71,160=00 (रुपए तेरह लाख इकहत्तर हजार एक सौ साठ मात्र) के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

14. 41 महाविद्यालयों की सेमेस्टर परीक्षा 2022-23 हेतु प्रदत्त अग्रिम राशि ₹ 6,97,000=00 (रुपए छः लाख संतानबे हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव

15. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में संविलयित कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का एरियर्स प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी उनके नाम के सम्मुख दर्शित तिथि से हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में संविलयित हो गए हैं। इस विश्वविद्यालय में 01.01.2016 से कार्यरत तिथि (संविलियन के पूर्व) तक के पुनरीक्षित वेतनमान (सातवाँ वेतनमान का) के एरियर्स राशि का भुगतान निम्नानुसार किए जाने का अनुमोदन किया गया :-

क्र.	कर्मचारी का नाम	दुर्ग वि.वि. में संविलियन तिथि	भुगतान योग्य एरियर्स राशि
01.	श्री रामप्रसाद देवांगन	14.07.2016	36900=00
02.	श्री अशोक कुमार खातखेड़े	20.01.2017	91881=00
03.	श्री योगेश कुमार सोनटेके	25.10.2016	45225=00
04.	डॉ. भावना पर्वत	20.01.2017	62669=00
05.	श्रीमती सविता पुसरिया	14.07.2016	20805=00
06.	श्रीमती रजनी मड़ावी	14.07.2016	20805=00
07.	श्रीमती मंजूषा तिरपुड़े	20.01.2017	39931=00
08.	श्री देवदास	20.01.2017	39931=00
09.	श्रीमती सपना सिन्हा	21.02.2017	30345=00
10.	श्री संजय कुमार खंडागड़े	11.07.2016	21420=00
11.	श्री रामकुमार	14.07.2016	15525=00
12.	श्रीमती नीलम श्रीवास्तव	14.07.2016	15525=00
13.	श्री कमलेश ठाकुर	14.07.2016	15525=00
14.	श्री अर्जुन लाल निराला	14.07.2016	12795=00
15.	श्री दीनदयाल पीस्दा	13.07.2016	12795=00
16.	श्री युगल किशोर	13.07.2016	12795=00
17.	श्री मनबोध तिकी	13.07.2016	12795=00
18.	श्रीमती लता बंजारे	14.07.2016	12795=00
		कुल रुपए	520462=00

यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव

16. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

17. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.08.2021 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने खाली स्थान में अलंकृत उद्यान विकसित करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि ₹ 12,48,795/- (रुपए बारह लाख अड़तालीस हजार सात सौ पंचानबे) की 50% राशि ₹ 6,24,397/- (रुपए छः लाख चौबीस हजार तीन सौ संत्यानबे मात्र) का भुगतान सहायक संचालक, उद्यान प्रमुख, उद्यान रायपुर को किया गया, शेष अलंकृत उद्यान रोपण कार्य हेतु प्राक्कलन राशि की शेष 50% राशि ₹ 6,24,398/- (रुपए छः लाख चौबीस हजार तीन सौ अंत्यानबे मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

18. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय परिसर की खराब सड़कों के सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि ₹ 50.00 लाख की 50% राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) का भुगतान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-03 रायपुर को किया गया है तथा प्राक्कलन राशि की शेष 50% राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) का भुगतान चेक क्र. 4099609 दिनांक 11.07.2022 के द्वारा किया गया है, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

19. विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग हाल के नवीनीकरण फर्नीचर लेआउट कार्य हेतु वास्तुविद फर्म भारती एंड एसोसियट्स रायपुर द्वारा तैयार किए गए ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन राशि ₹ 27,38,015/- (रुपए सत्ताईस लाख अड़तीस हजार पन्द्रह मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत Engineering Unit बजट मद M&R to Building में प्रावधानित राशि ₹ 100 लाख अंतर्गत प्रदान करने हेतु भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 27,38,015/- (रुपए सत्ताईस लाख अड़तीस हजार पन्द्रह मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

20. विश्वविद्यालय परिसर में बाऊंड़ीवाल पोताई कराने के संबंध में स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद स.क्र. 22 में प्रावधानित Building Painting Distemper में राशि ₹ 200 लाख अंतर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासनिक (कार्योत्तर) एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रशासनिक (कार्योत्तर) एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

21. विश्वविद्यालय परिसर के विभाग भवनों में पाँच वाहन शेड निर्माण कार्य के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद 5(b) मोटर गैरेज हेतु प्रावधानित राशि ₹ 50 लाख अंतर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 43,53,915/- (रुपए तिरालीस लाख तिरपन हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) की प्रशासनिक (कार्योत्तर) एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रशासनिक (कार्योत्तर) एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

22. विश्वविद्यालय के कुलपति निवास के पीछे वाहन शेड निर्माण के संबंध में प्राप्त निविदा राशि अधिक होने (above 12.95% as per SOR) के कारण भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार निविदा को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने पर विचार करना।

(कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2021 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त)

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

23. विश्वविद्यालय के बी.एड. भवन पहुँच मार्ग निर्माण के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट में Engineering Unit बजट मद स.क्र.(10) Campus Buitification हेतु प्रावधानित राशि ₹ 30 लाख अंतर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 9,92,437/—(रुपए नौ लाख बानबे हजार चार सौ सैंतीस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

24. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शेड निर्माण के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद 5(b) मोटर गैरेज हेतु प्रावधानित राशि ₹ 50 लाख अंतर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 9,78,374/— (रुपए नौ लाख अठत्तर हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

(कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त)

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

25. विश्वविद्यालय में मूर्ति चौक के पास गार्डन की ओर हाई मास्ट पोल एवं उसमें L.E.D. Flood Light लगाने के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद 5(a) Construction work, Electrification में प्रावधानित राशि ₹ 40 लाख प्रावधान अंतर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 10,83,128/— (रुपए दस लाख तिरासी हजार एक सौ अट्ठाईस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

(कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त)

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

26. विश्वविद्यालय के भवनों की आंतरिक पोताई कराने के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद स.क्र. 22 में (Building Painting, Distempering) प्रावधानित राशि ₹ 200 लाख अन्तर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

27. छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अधोसंरचना मद में प्रावधानित अनुदान राशि ₹ 100 लाख में से गणित अध्ययनशाला भवन निर्माण प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 99,45,000/—(रुपए निन्यानबे लाख पैंतालीस हजार मात्र) विमुक्त करने छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किए जाने पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 03.08.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

उपाधि विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. डॉ. अनिल कुमार वर्मा को दीक्षांत समारोह के पूर्व साक्षात्कार में उपाधि प्रस्तुत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपाधि प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु उनके आवेदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. अनिल कुमार वर्मा की उपाधि प्रमाण-पत्र छात्रहित को ध्यान में रखते हुए जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया।

3. वर्ष 2021-22 की मुख्य परीक्षा (अप्रैल-मई 2022) गोपनीय मुद्रण हेतु कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2022 में अनुबंधित फर्म के द्वारा प्रस्तुत देयक रु. 9,04,482.00 (रुपए नौ लाख चार हजार चार सौ बयासी मात्र) की भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

कंप्यूटर सेंटर गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. विश्वविद्यालय हेतु नया सर्वर, यू.पी.एस. एवं रैक क्रय हेतु रु. 20,42,283=00 (रुपए बीस लाख बयालीस हजार दो सौ तिरासी मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. श्री हीराराम वर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग की सी.पी.एफ. राशि रुपए 13,02,461.00 (रुपए तेरह लाख दो हजार चार सौ इकसठ मात्र) के अंतिम भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

6. छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, के वित्त निर्देश 09/2022 पत्र क्रं. 265/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/05/2022 के अनुसार विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त (90 प्रतिशत पेंशन प्राप्त) कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 174 प्रतिशत किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. डॉ. राजेंद्र प्रसाद दास, प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर वर्तमान में सम-कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110068 की Pro-Vice Chancellor के पद पर पुनः नियुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 09.08.2022 से 03 वर्ष या Pro-Vice Chancellor (सम-कुलपति) पद का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो के लिए पुनः धारणाधिकार में वृद्धि के संबंध में आवेदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

संपदा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रायपुर में भू-अर्जन प्रकरणों में कुर्की के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन से प्राप्त मुआवजा राशि रु. 14,57,18,158=00 (रुपए चौदह करोड़ सतावन लाख अठारह हजार एक सौ अठावन मात्र) को माननीय न्यायालय में उक्त मुआवजा राशि जमा करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन के पत्र के परिप्रेक्ष्य/संदर्भ में कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-8/2021/38-2 दिनांक 22.07.2022 के परिपालन में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के शैक्षणिक रिक्त पदों को भरने की अनुमति की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

IQAC से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय के IQAC के प्रस्ताव प्रत्यायन प्रक्रिया को स्थगित करने हेतु विचार करना।

निर्णय: शासन द्वारा अनुमति प्राप्त पदों पर नियुक्ति एवं अपूर्ण अकादमिक एवं अधोसंरचना के कार्यों की पूर्णता तक प्रत्यायन प्रक्रिया को स्थगित करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5-1/2021/38-2, दिनांक 06/10/2021 तथा वित्त विभाग के निर्देश 33/2021 पत्र क्रमांक 1365/एफ-01002199/एल-11-2/ब-4/चार, दिनांक 17/12/2021 के अनुसार विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को भुगतान जनवरी-2016 से अगस्त-2017 तथा जुलाई-2018 एवं अगस्त-2018 का कुल एरियर्स की राशि आयकर सहित कुल राशि रु. 36,80,569/- (रुपए छत्तीस लाख अस्सी हजार पांच सौ उनहत्तर मात्र) भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।


निर्णय: अनुमोदन प्रदान किया गया।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के एम.ए. राजनीति विज्ञान की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सत्र 2022-23 से 'स्वर्गीय श्री बेनीमाधव तिवारी स्मृति स्वर्ण-पदक' प्रदान करने हेतु नवीन विनियम के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: दानदाता श्री रवि तिवारी (शास. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के पीछे, सिविल लाईन, रायपुर) द्वारा 'स्वर्गीय श्री बेनीमाधव तिवारी स्मृति स्वर्ण-पदक' (Lt. Shri Benimadhav Tiwari Memorial Gold Medal) के नाम से सत्र 2022-23 से एम.ए. राजनीति विज्ञान की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण-पदक प्रदान किए जाने हेतु विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 03.08.2022 को अनुमोदित प्रस्तावित विनियम क्रमांक-200 का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पू. क्रमांक : 2149/अका./का.प/2022

रायपुर, दिनांक 05/08/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)